न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/49

1. नरपतसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत, निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा।

– **अपीलान्ट**

बनाम

1. पूर्णलाल पुत्र कल्याण जाति जोगी निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा।
2. श्रीमती मगन कँवर पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा, जिला दौसा।
3. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा।
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा।

– **रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 08.05.2024 जो प्रार्थना पत्र 14(4) अनुवानी नरपतसिंह बनाम पूर्णलाल प्रार्थना पत्र संख्या 1/2019 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, वकील अपीलान्ट।
2. श्री राजाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 06.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 08.05.2024 के खिलाफ दिनांक 28.05.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 19.05.2000 को ग्राम खुरी खुर्द के खसरा नम्बर 362 में से 0.75 है0 भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट नं. 1 पूर्णलाल पुत्र कल्याण जाति जोगी निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा, जिला दौसा को किया गया था। अपीलान्ट नरपत सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह द्वारा आवंटन निरस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलान्ट नरपत सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 आंशिक स्वीकार किया जाकर मूल आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2000 को इस प्रकार से संशोधित किया गया कि एन.एच. 11 ए के मध्य से 45 मीटर भूमि तक श्री पूर्णलाल जोगी पुत्र कल्याण जोगी को खसरा संख्या 362 में से प्रदान की गई गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार जिसके नये खसरा नम्बर 362/4 बने है, को निरस्त किया जाता है एवं खसरा नम्बर 362/4 का रकबा जो एन.एच. 11ए के मध्य से 45 मीटर भूमि में स्थित है उसको राजकीय भूमि दर्ज किया जावे तथा शेष भूमि का आवंटन यथावत बहाल रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2024 पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 08.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट नरपत सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह ने यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं

जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 362/4 में से 45 मीटर भूमि को छोडकर जो शेष भूमि का आंवटन बहाल रखा है उक्त आदेश विधि विरूद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। जब आवंटन राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा की भूमि में स्थित भूमि का था तो अधीनस्थ न्यायालय को सम्पूर्ण आवंटन को निरस्त करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण आवंटन को निरस्त नहीं करके, एन एच 11 के मध्य से 45 मीटर तक का ही आवंटन निरस्त कर शेष आवंटन बहाल रखने में कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। कानूनन उक्त आवंटन आवंटन रूल्स की अवहेलना करके फ्राड व धोके से करना बखूबी सिद्ध था जब उक्त आवंटन फ्राड व धोके से व नियमों का उलंघन करके करना सिद्ध था तो अधीनस्थ न्यायालय को सम्पूर्ण आवंटन को निरस्त करना चाहिए था जो नही करके अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट का उज्र मात्र सड़क सीमा की भूमि के आवंटन को ही निरस्त करने का नही था बल्कि सम्पूर्ण भूमि के कानून के विपरीत तरीके से किये गये आवंटन को निरस्त करने के लिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र सड़क सीमा के आवंटन को ही निरस्त करके शेष आवंटन को बहाल रखने में कानूनी गलती की है जो निरस्तनीय है। आवंटी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा भी कभी नही रहा है ना ही आज कब्जा है। नियम विरोधी आवंटन बखूबी सिद्ध था अतः सम्पूर्ण आवंटन निरस्त योग्य था किन्तु सड़क सीमा के अलावा बाकी आवंटन को बहाल रखने में कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 08.05.2024 में से जो एन एच 11 के मध्य से 45 मीटर भूमि के बाद के आवंटन को यथावत रखा हैं उसको निरस्त फरमाकर सम्पूर्ण आवंटन दिनांक 19.05.2000 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा आवंटन रूल्स के अन्तर्गत वाके ग्राम खुरी खुर्द तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 362 में से 0.75 है० भूमि का आवंटन दिनांक 19.05.2000 को अप्रार्थी संख्या 01 को किया गया है तथा उक्त भूमि का विक्रय अप्रार्थी सं० 01 ने अप्रार्थी सं० 2 को कर दिया है। आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2000 विधि के अनुरूप तथा आवंटन नियमों का पालन करते हुए आवंटन आदेश अप्रार्थी संख्या 01 के हक में पारित किया गया है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का आवंटन से पूर्व से ही कब्जा काश्त था। उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का पूर्वजों के समय से हीं कब्जा काश्त था जिसके कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी सं० 1 को आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2000 से खसरा नम्बर 362 में से 0.75 है० भूमि का आवंटन किया गया तथा खसरा नम्बर 362 से अन्य कई व्यक्तियों को भी उक्त भूमि में से आवंटन किया गया है। उक्त अपील प्रार्थी द्वारा जान बूझकर गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी सं० 1 व 2 को हैरान व परेशान करने की गरज से एवम् अप्रार्थी सं० 1 व 2 की उक्त भूमि को हडप करने की गरज से पेश की गई है। आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2000 आवंटन नियमों की पालना करते हुए पारित किया गया है, जिसमें फ्रॉड व मिसरिप्रजेन्टेशन से उक्त आवंटन आदेश पारित नहीं किया गया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

है जबकि उक्त आवंटन आदेश मजमे आम में पूर्ण कोरम के साथ आवंटन कमेटी के द्वारा किया गया है। उक्त आवंटित भूमि पर पूर्वजों के समय से ही आवंटी अप्रार्थी सं० 1 का कब्जा चला आ रहा था। इसी कारण से आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी सं० 1 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। अप्रार्थी को वाके ग्राम खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित खसरा नम्बर 362 में से 0.75 है० भूमि आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2000 के द्वारा की गई है। उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 362/4 रकबा 0.75 है० बनाये गये है तथा प्रार्थी नरपत सिंह को उक्त आवंटन आदेश की जानकारी आवंटन आदेश होने के दिन से ही थी परन्तु प्रार्थी नरपत सिंह द्वारा दिनांक 22.01.2019 को उक्त उजरात आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2000 से लगभग 19 वर्ष बाद अप्रार्थी सं० 1 को खातेदारी अधिकार मिल जाने के पश्चात पेश किये गये है।

आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 19.05.2000 को वाके ग्राम खुरी खुर्द में अप्रार्थी संख्या 1 पूर्णलाल को खसरा नम्बर 362 में से 0.75 है० भूमि का आवंटन आदेश आवंटन नियमों की पालना करते हुए किया गया है। खसरा नम्बर 362/4 रकबा 0.75 है० राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं० 1 के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज होने के पश्चात अप्रार्थी सं० 1 द्वारा दिनांक 16.04.2008 को अप्रार्थी सं० 2 को विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया गया है। उक्त भूमि पर आवंटन के समय से पूर्व से ही अप्रार्थी सं० 1 का कब्जा विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के दिन तक था तथा विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के दिन से उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं० 2 का कब्जा है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी पूर्णलाल के हक में दिनांक 19.05.2000 को होने के पश्चात गैर खातेदारी का नामान्तकरण अप्रार्थी सं० 1 के हक में खुला तथा उसके पश्चात अप्रार्थी सं० 1 का उक्त भूमि पर कब्जा होने तथा आवंटन शर्तों की पालना करने पर गैर खातेदारी का 260 दिनांक 20.01.2004 को उक्त नामान्तकरण तहसीलदार दौसा द्वारा खारिज कर दिया गया। अप्रार्थी सं० 1 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ उक्त नामान्तकरण की अपील संख्या 64/2006 पूर्णमल बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की गई जिसको न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 25.04.2007 को उक्त अपील का निर्णय पारित कर प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार दौसा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि प्रार्थी आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा होने अथवा नहीं होने की जांच करे तथा प्रार्थी खातेदारी अधिकारों का अपात्र था तो नामान्तकरण भरकर पेश करने वाले पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करे तथा खातेदारी अधिकारों का पात्र हैं तो नामान्तकरण निरस्त करने वाले आई.एल.आर. व तहसीलदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय पारित किया गया। जिसके पश्चात तहसीलदार दौसा द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण संख्या 15/2007 उनवानी पूर्णमल बनाम सरकार में दिनांक 20.7.2007 को अन्तिम निर्णय पारित फरमाया जाकर आदेश दिये गये कि नामान्तरण संख्या 260 में अंकित भूमि खसरा नम्बर 362/4 रकबा 0.75 है0 में से एन. एच. 11 ए में परिसीमन क्षेत्र में आ रहा भाग 0.02 है० को कम करते हुए शेष भूमि का रकबा 0.73 है० के संबंध में गैर खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने व खातेदारी अधिकारों की पात्रता रखने के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना स्वीकार किया गया। न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 20.7.2007 को निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त एन एच 11 ए. आवंटित भूमि के समीप अथवा नजदीक होने के संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर से ली गई। पटवारी हल्का तथा गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 16.07.2007 में यह तथ्य साबित पाया कि उक्त आवंटित भूमि खसरा नम्बर 362/4 का लगभग 0.02 है० भाग एन एच 11 ए की चौडाई परिसीमा क्षेत्र में आता है और यह भी अभिशंषा की कि उक्त प्रकरण में गैर खातेदार को आवंटित भूमि की गैर खातेदारी में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

से सडक परिसीमन रकबा 0.02 है० को छोडकर शेष भूमि की खातेदारी दी जा सकती है तथा गैर खातेदार द्वारा आवंटन नियमों की शर्तों की पालना की जा रही है मौके पर कब्जा काश्त है एवम् गैर 'खातेदार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की पात्रता रखता है। इस प्रकार न्यायालय तहसीलदार के निर्णय दिनांक 20.07.2007 में तहसीलदार दौसा द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के मंगवाई जाकर उक्त गैर खातेदारी से खातेदारी के नामान्तकरण संख्या 260 का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 21.07.2007 को गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार प्रदान किये गये तथा अप्रार्थी सं० 1 को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 362/4 रकबा 0.75 है० भूमि में से 0.02 है० भूमि एन एच 11 ए की सीमा में छोड़ कर शेष भूमि के खातेदारी अधिकार तहसीलदार भू अभिलेख दौसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किये गये। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 उक्त खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात उक्त भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा था। उसके पश्चात अप्रार्थी सं० 1 ने अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 16.04.2008 को उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा किया गया। वर्तमान में वाके ग्राम खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित खसरा नम्बर 362/4 की एक मात्र खातेदार काबिज काश्तकार अप्रार्थी सं० 2 है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं० 2 का कब्जा काश्त होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उजरात खारिज योग्य है।

पूर्व में एन एच 11 ए खसरा नम्बर 218 में होकर गुजर रहा था लेकिन सन 1991 में दौसा जिला बनने के पश्चात उक्त एन एच 11 ए का विस्तार किया गया तथा खातेदारान की भूमि को अवाप्त कर उक्त एन एच 11 ए को पश्चिम दिशा की ओर अधिक बढाकर भूमि अवाप्त कर एन एच 11 ए का निर्माण किया गया जिसमें खसरा नम्बर 205/1, खसरा नम्बर 203/1, खसरा नम्बर 219/1, खसरा नम्बर 202/1 में अवाप्ति की जाकर भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के खाते में खसरा नम्बर 203/1 रकबा 0.54 है० गै०मु०सडक, खसरा नम्बर 205/1 रकबा 0.33 है० गै०मु० सडक, खसरा नम्बर 219/1 रकबा 0.75 है0 गै० मु० सडक अवाप्त की जाकर खातेदारी में दर्ज की गई एवम् वर्तमान में खसरा नम्बर 218 रकबा 2.23 है० गै० मु० सडक जो सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा के खाता संख्या 282 में दर्ज रिकॉर्ड है पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए न बनकर पश्चिम दिशा की ओर भूमि अवाप्त कर बनाया गया है। इसलिए अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 362/4 रकबा 0.73 है० भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के परिधि के अन्दर नहीं आती है प्रार्थी द्वारा जो उजरात श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है उसकी स्वयं की भी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 202/2 रकबा 1.81 है० भूमि एन एच 11 ए राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप है उक्त भूमि मूल नम्बर 362 में से अन्य आवंटियों को आवंटित की गई है जिनके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा अन्य खातेदारान की भी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप है जिनके खसरा नम्बर 205/2, 203/2, 362/2, 362/3, 362/1672, 362/6, 362 है। उपरोक्त नम्बर भी उक्त ग्राम में एन एच 11 ए के समीप है। ग्राम खुरी खुर्द में स्थित खसरा नंबर 362 रकबा 2.67 है0 में से अप्रार्थी सं० 1 को 0.75 है० भूमि का आवंटन दिनांक 19.5.2000 को आवंटित की गई थी जिससे खसरा नंबर 362/4 की खातेदारी अप्रार्थी सं० 1 को दी गई। भू आवंटन नियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी आवंटित भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात प्रा.पत्र 14 (4) उजरात पेश नहीं किये जा सकते है। अतः यह अपील अपीलान्ट खारिज कर जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2024 को यथावत रखा जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 19.05.2000 को कैंप बापी में ग्राम खुरी खुर्द के खसरा नम्बर 362 में से 0.75 है0 भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट नं. 1 पूर्णलाल पुत्र कल्याण जाति जोगी निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा, जिला दौसा को किया गया था। अपीलान्ट नरपत सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह द्वारा आवंटन निरस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू-आवंटन नियम-1970 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने मूल आंवटन अभिलेख के अवलोकन पर यह पाया कि प्रार्थी का यह कथन गलत सिद्ध होता है कि आवेदन पत्र में पहले 0.50 है0 भूमि का आवंटन करके उस पर उपखण्ड अधिकारी ने हस्ताक्षर किये गये हैं, बाद में उस पर लाईन खींच कर 0.75 भूमि लिखी गई है। पत्रावली में शामिल नकल गिरदावरी के अवलोकन से यह प्रमाणित माना है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी सं0 2 मगन कंवर का संवत 2063 से 2079 तक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटित भूमि पर प्रार्थी का अथवा प्रार्थी के पूर्वजों का कब्जा काश्त होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवंटित भूमि सडक सीमा के 50 गज के भीतर है। न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने इस बाबत तहसीलदार दौसा से तलब रिपोर्ट क्रमांक 594 दिनांक 09.02.2023 के अवलोकन से यह पाया कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 362/4 की भूमि एन.एच. के मध्य से 29 मीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(च) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार "राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित कोई अन्य सडक के लिए भारतीय सडक कांग्रेस के मार्गदर्शन में विनिर्दिष्ट सीमाएं या किसी अधिनियम या केन्द्रीय या राज्य सरकार इस निमित्त बनाये गये नियमों या सडक के केन्द्र में 45 मीटर जो भी अधिक, में यथा विनिर्दिष्ट सीमाए) में स्थित भूमि का आंवटन नहीं किया जा सकता है।" आवंटन की मूल पत्रावली में पटवारी द्वारा उक्त खसरे के संबंध में यह रिपोर्ट की गई है कि यह भूमि एन.एच.11 ए से सिरा लगती हुई है। जिससे यह सिद्ध होता है कि तत्समय जब इस भूमि का आवंटन किया गया था, तब भी यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में था, एवं प्रश्नगत भूमि सडक से 29 मीटर की परिधि में स्थित है। आवंटन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा 362/2 में से 0.85 है0 आवंटन हेतु निवेदन किया गया था किन्तु आवंटन कमेटी की सिफारिश पर अप्रार्थी संख्या 1 को खसरा नम्बर 362 में से 0.75 है0 रकबे का आवंटन उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा किया गया था जिसके खसरा नम्बर 362/4 बनाये गये थे। अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 25.04.2007 भी महत्वपूर्ण है जिसमें उनके द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध में नामान्तरण के आदेश निरस्त कर तहसीलदार दौसा को रिमांड कर प्रकरण में पुनः सुनकर आदेश पारित करने हेतु निर्णय दिया था। जिसके पश्चात तहसीलदार दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.07.2007 में खसरा नंबर 362/4 रकबा 0.75 है0 में से एन.एच. 11 ए के सीमा में आ रहे रकबा 0.02 है0 को कम करते हुए शेष भूमि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

0.73 है0 के खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु स्वीकृत किया एवं नियमानुसार सडक सीमा रकबे के संबंध में नियम 14(4) की कार्यवाही प्रस्तावित कर पालना करने के आदेश प्रदान किये गये थे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलान्ट नरपत सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 आंशिक स्वीकार किया जाकर मूल आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2000 को इस प्रकार से संशोधित किया गया कि एन.एच. 11 ए के मध्य से 45 मीटर भूमि तक श्री पूर्णलाल जोगी पुत्र कल्याण जोगी को खसरा संख्या 362 में से प्रदान की गई गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार जिसके नये खसरा नम्बर 362/4 बने है, को निरस्त किया जाता है एवं खसरा नम्बर 362/4 का रकबा जो एन.एच. 11 ए के मध्य से 45 मीटर भूमि में स्थित है उसको राजकीय भूमि दर्ज किया जावे तथा शेष भूमि का आवंटन यथावत बहाल रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2024 पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2024 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2024 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 06.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर